

संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1986

सा0का0नि0 11 (अ)- निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954(1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये तथा जिनका राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं:-

संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986

(13 दिसम्बर, 2010 तक संशोधित रूप में)

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ते की रकम:-** कोई सदस्य, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 8 के अधीन ²[पैंतालीस हजार] रुपये प्रतिमास की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा।

3. **निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता अन्य भत्तों आदि के अतिरिक्त होगा:-** शंकाओं को दूर करने के लिए, यह धोषित किया जाता है कि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय निर्वाचन संबंधी भत्ता, तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों के अधीन अनुज्ञेय किन्हीं अन्य भत्तों या सुविधाओं के (चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में) अतिरिक्त होगा न कि उनके अल्पीकरण में।

4. **निरसन:-** संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधा) नियम, 1975 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

[फा0सं02/1/एम0एस0ए0/85]

¹ दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित ।

² दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 965 (ड) द्वारा प्रतिस्थापित ।